ग्वालियर संस्करण की नई विज्ञापन दरें

वर्गीकृत विज्ञापन (ब्लैक एण्ड व्हाइट) 50 शब्द, प्रत्येक अतिरिक्त शब्द 5 रूपये, शीर्षक शुल्क 100 प्रतिशत अतिरिक्त	3 DAYS 100/-	15 DAYS 500/-	1 MONTH 1000/-
डिस्पले क्लासिफाइड विज्ञापन (ब्लैक एण्ड व्हाइट)	1 DAYS 500/-	7 DAYS 1800/-	1 MONTH 3000/-
पगड़ी रस्म, पुण्यतिथि फोटो सहित	Size 8x1	Rs. 500/-	
गुमशुदा, जन्मदिन, बधाई	Size 8x1	Rs. 1000/-	
वैवाहिक	Size 6x1	Rs. 500/-	
नाम परिवर्तन, लीज पॉलिसी परिवर्तन, खोया-पाया	Display Classified Rate		
वैवाहिक विज्ञापन कम से कम 40 शब्द (केवल मध्यप्रदेश) 5 रूपये अतिरिक्त शब्द	Rs. 500/-		

Contact:-
Nava Bharat Bhavan, City Center, Gwalior
Ph. 0751-4086200, 9479319990
E-mail address-bharatnava@gmail.com

पाठकगण किसी भी वर्गीकृत विज्ञापन पर पहल करने से पहले पूरी जानकारी एकत्र कर संपर्क करें. इस संबंध में नवभारत समाचार- पत्र की जिम्मेदारी नहीं होगी.

सकारात्मक सोच आशा और आत्म विश्वास के साथ : प्रहलाद भाई

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 24 जुलाई. विक्रांत विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा एआईसीटीई ट्रेनिंग एण्ड लर्निंग अकादमी के तत्वधान में चल रही छः दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के चौथे दिन विषय विशेषज्ञों ने एफडीपी के विषय पर विस्तृत चर्चा की।

आयोजित एफडीपी के चौथे दिन के पहले सत्र में आमंत्रित मुख्य वक्ता प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय ग्वालियर के वरिष्ठ राजयोग ध्यान प्रशिक्षक एवं मोटिवेशनल स्पीकर श्री बीके प्रहलाद सिंह ने आर्ट ऑफ़ पॉजिटिव थिंकिंग एण्ड मेडिटेशन फॉर वर्क लाइफ बैलेंस विषय पर सभी को संबोधित किया।

तो वहीं एफडीपी के दूसरे सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में आई.आई.टी. रुड़की से प्रो. अक्षय द्विवेदी (विभागाध्यक्ष मिकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग) उपस्थित थे। जिन्होंने स्किल डेवलपमेंट एण्ड वर्क फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इंडस्ट्री 5.0 विषय पर एफडीपी के सभी प्रतिभागियों से विस्तार पूर्वक चर्चा की।

एफडीपी के दौनो सत्रों में आमंत्रित विषय विशेषज्ञ एवं मुख्य वक्ताओं का विक्रांत विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉ. पी एस चौहान ने पुष्प गुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया।

प्रथम सत्र में बीके प्रहलाद भाई ने आर्ट ऑफ़ पॉजिटिव थिंकिंग एंड मेडिटेशन फॉर वर्क लाइफ बैलेंस (सकारात्मक सोच और ध्यान के आधार से कार्य और जीवन शैली को संतुलित करें) विषय पर सभी को संबोधित करते हुए कहा कि जब हम सकारात्मक सोचते है, तो हमारा मस्तिष्क रचनात्मक दिशा में कार्य करता है। जिससे तनाव कम होता है और हमारी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। आज की जीवन शैली में देखने में आ रहा है कि हर व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक कार्य में व्यस्त है, घर परिवार और अपने मानसिक स्वास्थ्य को नजरंदाज कर देता है। जिसकी वजह से उसके जीवन तमाम उतार चढाव आते है। यदि ऐसे समय पर सकारात्मक सोचने की कला को जीवन में अपनाते है और नियमित मेडिटेशन करते है तो हमारा जीवन संतुलित होता है। बीके प्रहलाद ने आगे कहा कि हमें अपने काम से भी प्यार करना चाहिए और अपनों के लिए भी समय निकालना चाहिए। यही जीवन है। आगे उन्होंने कहा कि सकारात्मक सोच अर्थात एक ऐसा मानसिक द्रष्टिकोण जो सदैव अच्छे विचारों पर केन्द्रित है और अच्छे परिणाम की ही आशा करता है।

एक नजर में

जितेन्द्र भदोरिया का निलंबन समाप्त

ग्वालियर 24 जुलाई। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ. देवेन्द्र शर्मा ने जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व महामंत्री जितेन्द्र भदौरिया के अच्छे आचरण को देखते हुए उनके निलंबन को समाप्त कर बहाल किया। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ. देवेन्द्र शर्मा ने जिला कांग्रेस के पूर्व महामंत्री जितेन्द्र भदौरिया का निलंबन समाप्त करते हुए बहाली का पत्र में कहा कि आपके द्वारा पूर्व में की गई अनुशासनहीनता के कारण आपको पार्टी से निलंबित किया गया था। आपका विगत दिनो के आचरण को देखते हुए यह पाया गया कि आपने कांग्रेस पार्टी के संविधानानुसार अनुशासन का पालन किया है एवं पार्टी अनुशासन की परिधि में रहते हुए आपका आचरण संतोषजनक रहा है। आपके उचित आचरण को देखते हुए पार्टी द्वारा आपके निलंबन को समाप्त करते हुए तत्काल प्रभाव से आपको पुनः पार्टी में बहाल किया जाता है। पार्टी को आपसे यह पूर्ण आशा एवं विश्वास है कि भविष्य में ऐसी किसी अनुशासनहीनता की पुनरावृत्ति नहीं होगी एवं आप पार्टी के सिद्धांतों, विचारधारा एवं संगठनात्मक अनुशासन के अनुरूप कार्य करते रहेंगे।

आज़ाद मंच भारत रक्षक मोर्चा ने मनाई आजाद की जयंती

ग्वालियर। आज़ाद मंच भारत रजिस्टर्ड के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के निर्देशानुसार ग्वालियर में रक्षक मोर्चा के संरक्षक अमित दुबे और अखिलेश पांडेय के साथ आजाद मंच भारत के प्रदेश अध्यक्ष ध्यानेंद्र शर्मा और रक्षक मोर्चा के जिला अध्यक्ष युवा के मार्गदर्शन में अमर शहीद पं. चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला युवा अध्यक्ष कुलदीप कांकोरिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुलदीप कांकोरिया ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाने का उद्देश्य युवाओं को उनके आदर्शों और सिद्धांतों के बारे में जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि आजाद के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने से हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। कांकोरिया ने रक्षक मोर्चा के सदस्यों को संबोधित करते हुए उन्हें आजाद के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि हमें आजाद के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए काम करना चाहिए। कार्यक्रम में रक्षक मोर्चा ग्वालियर के पीयूष शर्मा, मृदुल जोशी, जोगेंद्र नरवरिया, आरूध उपाध्याय, संदीप शर्मा आदि शामिल हुए।

बदमाश का कत्ल, लेडी का कनेक्शन

ग्वालियर। ग्वालियर–शिवपुरी की बॉर्डर पर आगरा–मुंबई नेशनल हाईवे पर बुधवार की रात हुए एक बदमाश के कत्ल का मामला जांच के लिए शिवपुरी जिले के सुभाष पुरा पुलिस के खाते में पहुंच गया था। रात में चर्चा थी कि यह कत्ल ग्वालियर के मोहना थाने की हद में हुआ है पर बाद में खुलासा हो गया कि यह कत्ल नयागांव तिराहा के पास हुआ है। यह इलाका सुभाषपुरा थाना क्षेत्र में आता है। इस कत्ल में सबसे चौंकाने वाली बात उस लड़की का गायब हो जाना है जिसे बदमाश अपने साथ कार में लेकर सफर कर रहा था। बदमाश की लाश ग्वालियर के डेड हाउस में रखी और इस घटना के चश्मदीद कार ड्रायवर पुलिस को घटना की पूरी जानकारी दी है

संत आशाराम बापू की प्रभात फेरी निकली

ग्वालियर–संत श्री आशारामजी बापू के भक्तों ने आनंद नगर में हरियाली अमावस्या पर्व पर हरिनाम प्रभात फेरी आयोजित कर सड़कों पर खूब भक्ति रस की वर्षा कर आनंद लुटाया। यह जानकारी मीडिया प्रभारी बलबीर सिंह परमार ने दी। भक्त गण हरिनाम प्रभात फेरी में ए ब्लॉक आनंद नगर नवग्रह मंदिर के आसपास भ्रमण करते हुए गलियों में भक्ति भरे भजनों पर नाचते गाते चले जा रहे थे।

दलित एएसआई को प्रताड़ित करने वालों पर शीघ्र हो एफ आई आर : सुग्रीव सिंह

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 24 जुलाई. किसान नेता हाकिम सिंह ने कहा कि जिला दतिया थाना गोधन में पदस्थ एएसआई प्रमोद पवान को प्रताड़ित करने वाले थाना प्रभारी भदोरिया एवं एक अन्य एस आई तथा दो पुलिस कर्मचारीयों पर FIR की मांग को लेकर किसान नेता अखिलेश यादव के नेतृत्व में एसपी सूरज कुमार वर्मा को ज्ञापन पत्र सोपा इस मौके पर कांग्रेस के

पूर्व प्रदेश सचिव एवं किसान नेता सुग्रीव सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि स्व्र्ग प्रमोद पवान का सिर्फ इतना कसूर था कि थाना प्रभारी द्वारा खनन माफियाओं से ट्रैक्टर ट्रालीयों से अवैध वसूली की जाती थी उनको रोकने का काम एएसआई द्वारा किया गया था इस बात से रुष्ट होकर थाना प्रभारी एवं उनके तीन अन्य सहयोगियों द्वारा उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि उसे आत्म हत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा सुग्रीव सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि एएसआई द्वारा वीडियो बनाकर चारों पुलिस आरोपियों का नाम एवं सुसाइड नोट छोड़ा गया है इसके बाद भी पुलिस के अफसरो द्वारा दोषी पुलिस कर्मियों को बचाने का कार्य किया जा रहा है एवं उसमें से सिर्फ दो लोगों को लाइन हाजिर किया है इस मौके पर किसान नेता अखिलेश यादव आकम सिंह कुशवाहा प्रेम नारायण कुशवाहा युसूफ अब्बास पातीराम फौजी कुशवाहा कामरेड पार्षद सलीम हरिचंद शर्मा रहमत खान नरेश जाटव मौर्य इंजीनियर रामस्वरूप कुशवाहाआदि लोग उपस्थित थे

रक्तदान शिविर आयोजित

ग्वालियर. एसोसिएशन ऑफ ग्वालियर यूथ सोसायटी एवं रेडक्रास सोसायटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित स्वर्गीय महेश गोयल जी की पुण्यतिथि स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन गुरुवार को स्थानीय दीनदयाल सिटी मॉल फूड कोर्ट थर्ड फ्लोर पर आयोजित किया गया

आठवें वेतनमान के तुरंत गठन को लेकर पेंशनर्स बनायेंगे मानव श्रृंखला

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 24 जुलाई. कॉर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन ग्वालियर के संयोजक बी पी गणक ने बताया कि फोरम ऑफ सिविल पेंशनर्स एसोसिएशन के बैनर तले पूरे देश में केंद्र सरकार द्वारा पारित सीसीए पेंशन संशोधन नियम 2025 को रद्द किए जाने की मांग को लेकर क्योंकि यह नियम रिटायरमेंट की तिथि के आधार पर दो पेंशनर के बीच भेदभाव उत्पन्न करने वाला है, इसके साथ साथ आठवें वेतन आयोग का गठन वेतन आयोग की घोषणा होने के सात महीने बाद भी नहीं किया जाना कर्मचारी और पेंशनर में आक्रोश पैदा कर रहा है इन दोनों मांगो के साथ राज्य पेंशनर्स को लंबित 2% डीआर प्रदान करने धारा 49.6 को रद्द करने आदि मांगों को लेकर 25 जुलाई को पेंशनर्स मानव श्रृंखला बनाएंगे उसी कड़ी में ग्वालियर में भी पेंशनर्स संघों ने 25 जुलाई को फोरम ऑफ सिविल पेंशनर्स एसोसिएशंस ग्वालियर के बैनर तले जयेंद्रगंज चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाने का निर्णय लिया है. ग्वालियर के पेंशनर संघों भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ ग्वालियर, पेंशनर एसोसिएशन एक मंच एक आवाज, ए आई पी आर पी ए, ए आई बी डी पी ए, ए आई बी एस एन एल पी डबल्यू ए, शिक्षक पेंशनर एसोसिएशन, प्रोग्रेसिव पेंशनर एसोसिएशन, भारत पेंशनर समाज, मध्यप्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर एसोसिएशन, ग्वालियर डिविजन इंश्योरेंस पेंशनर एसोसिएशन, राज्य सरकार के पेंशनर फेडरेशन बीमा, बैंक पेंशनर एसोसिएशन, गवर्मेंट पेंशनर एसोसिएशन रेल, सहित केंद्र, राज्य, पी एस यू के पेंशनर संघों की संयुक्त विज्ञप्ति में मांग की है कि पेंशन संशोधन नियम 2025 को रद्द किया जावे, आठवें वेतन आयोग का शीघ्र गठन किया जावे, इसके साथ ही मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को लंबित 2 प्रतिशत डी आर तत्काल एरियर सहित भुगतान करने, धारा 49(6) को तत्काल रद्द करने, पेंशनर्स की आय इनकम टैक्स से मुक्त करने तथा मध्यप्रदेश के पेंशनर्स के लिए सेवा निवृत दिनांक से चिकित्सा योजना या हेल्थ बीमा योजना लागू करना आदि मांगों को लेकर 25 जुलाई. को पुराने हाईकोर्ट जयेंद्रगंज चौराहे पर सायं 4.30 बजे से पेंशनर्स द्वारा मानव श्रृंखला का आयोजन किया जाएगा।

आर एस तरेटिया, श्रीमती गीता भारद्वाज, आर पी कोरी, एम के जायसवाल, एस के जायसवाल, बी एस कुशवाह, मोहनसिंह राजावत, एस एम बहल, शिवराज सिंह, बी एम शर्मा, निसार अहमद, बी एन कौशिक, अलाउद्दीन, शेख गनी, रविन्द्र त्रिपाठी, नंदकिशोर गोस्वामी, आदि पेंशनर्स संघों के प्रमुखों ने सभी पेंशनर साथियों से अपील की है कि इस आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर सरकार की पेंशनर विरोधी नीति के खिलाफ आयोजित मानव श्रृंखला में भागीदार करें।

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकारा श्रीमती जलदेवी कुशवाह पत्नी श्री नबाब सिंह कुशवाह ने उक्त अचल संपत्ति प्लॉट स्थित ग्राम अलापुर जिला मुरैना मे है। जो कि सर्वे क. 2110/5 का भाग कुल रकवा 0.3140 हेक्टर भूमि है जिसका पटवारी हल्का क्र. 62 है। जो मेरी पक्षकारा की क्रयशुदा सम्पति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज क्र. ई रजिस्ट्रेशन नं. एम पी 25822024ए11050384 तारीखी 22.08.2024 में रशीद खान पुत्र श्री मुन्ने खान से क्रय किया। मेरी पक्षकारा की क्रयशुदा सम्पति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के तहत चतुरसीमा निम्नानुसार है। पूर्व में भूमि रज्जन, पश्चिम में भूमि रज्जन मिश्रा, उत्तर में रोड दक्षिण में – भूमि विजय सिंह जिसका कुल रकवा 0.3140 हेक्टर भूमि है। मेरी पक्षकारा श्रीमती जलदेवी कुशवाह पत्नी श्री नबाब सिंह कुशवाह की क्रयशुदा सम्पति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रेता रशीद खान पुत्र श्री मुन्ने खान के द्वारा विक्रित किये जाने बावत अगर किसी व्यक्ति, बैक, सस्था, निगम, शासकीय, अशासकीय विभागो या प्राईवेट फायनेंश को कोई या विक्रेता परिवार के किसी भी सदस्य को कोई उज्ज्र व आपत्ति हो तो मय सबूत के नीचे पते पर 7 दिवस के अन्दर उपस्थित होकर आपत्ति पेश करे वरना म्याद गुजरने के बाद कोई उज्ज्र व आपत्ति मान्य व स्वीकार नही होगी और मेरी पक्षकारा अचल सम्पत्ति प्लॉट जिसका कुल रकवा 0.3140 हेक्टर भूमि पर हाउसिंग लोन की सुविधा पीरामल फायनेंश लिमिटेड सिटी सेन्टर ग्वालियर से आवंटित करा रही है। जो सुचित हो।

दिनांक 24.07.2025
स्थान ग्वालियर

भवदीय
संजय बाकलीवाल एडवाकेट चिक संतर मुरार ग्वालियर, मो. 9300981954

नाम परिवर्तन आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं **दीपू मांझी** पुत्र **श्री मुंशीराम मांझी**, निवासी 126, न्यू नरसिंह नगर, चार शहर का नाका, ग्वालियर का हूँ और मेरे पुलिस सर्विस रिकॉर्ड में मेरा नाम दीपू बाथम पुत्र मुंशीराम बाथम अंकित है जबकि मेरे **आधारकार्ड क्र. 6777 5899 9794**, **वोटरकार्ड क्र. YE2541597** आदि अन्य समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम **दीपू मांझी** पुत्र **श्री मुंशीराम मांझी** अंकित है जो सत्य व सही है इस प्रकार **दीपू बाथम** एवं **दीपू मांझी** दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के होकर मेरे ही हैं जिसमें मुझे **दीपू मांझी** पुत्र **श्री मुंशीराम मांझी** को स्वीकार किया जावे व जाना पहचाना जावे। सूचित हों।

इति. दिनांक- 24.07.2025

भवदीय
दीपू मांझी पुत्र श्री मुंशीराम मांझी, निवासी 126, न्यू नरसिंह नगर, चार शहर का नाका, ग्वालियर
द्वारा अभिभाषक
श्री सरनाम सिंह तोमर, तानसेन रोड, ग्वालियर

आम सूचना

श्री मुकेश राजपूत पुत्र श्री सुंदर सिंह राजपूत के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड क्र. 101 एवं 102 का भाग, ब्लॉक–सी, ग्राम रतवई, प.ह.नं. 117. रा.नि.मं. सुपावली, तहसील मुरार व जिला ग्वालियर (म.प्र.) में है जो नगर निगम ग्वालियर वार्ड क्र.61 में स्थित है जो भूमि सर्वे क्र. 22 एवं 23 ग्राम रतवई का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 1250 वर्गफुट है और जिसकी चर्तुसीमा निम्न प्रकार है :- पूर्व में–भूखण्ड क्र.84 एवं 85, पश्चिम में–रास्ता 25 फुट चौड़ा, उत्तर में–भूखण्ड क्र.100 एवं दक्षिण में–भूखण्ड क्र.102 का भाग है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री सुरेन्द्र सिंह तोमर पुत्र श्री कप्तान सिंह तोमर, श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री लोचन सिंह, श्री शिवम तोमर उर्फ सुगम सिंह तोमर पुत्र श्री दिनेश सिंह तोमर, श्रीमती नीतू सिंह पत्नी श्री राघवेन्द्र सिंह तोमर, श्री सौरभ सिंह पुत्र श्री होशियार सिंह तोमर द्वारा श्रीमती अरूणा भदौरिया पत्नी श्री मनोज भदौरिया, श्री संजय पाण्डेय पुत्र स्व. श्री किशोरी शरण पाण्डेय को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र. एमपी 142592021ए1204602 दिनांक 26.02.2021 से विक्रय की गई। श्री संजय पाण्डेय द्वारा सम्पत्ति रकवा 0.418 हैक्टेयर एरिया श्री मुकेश राजपूत पुत्र श्री सुंदर सिंह राजपूत को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र. एमपी 142592024 ए11320197 दिनांक 12.11.2024 से विक्रय की गई। श्री मुकेश राजपूत द्वारा उक्त सम्पत्ति को विक्रय किये जाने हेतु श्रीमती सोनू मौर्य पत्नी श्री नरेन्द्र मेकले के पक्ष में एक लिखतम विक्रय अनुबन्ध पत्र सम्पादित किया जा चुका है एवं रजिस्टर्ड विक्रय विलेख सम्पादित किया जाना शेष है। श्रीमती सोनू मौर्य द्वारा उक्त सम्पत्ति को क्रय किये जाने हेतु मेरे पक्षकार जना स्मॉल फायनेंस बैंक लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्वे क्रमांकों के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित निहित होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हों।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. – मकान नं. 52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

आम सूचना

श्रीमती विक्रम कुशवाह पुत्र श्री कमलेश कुशवाह के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड, स्थित ग्राम इंदरगढ़, प.ह.नं.24, रा.नि. वृत इंदरगढ़, तहसील इंदरगढ़ व जिला दतिया (म.प्र.) है जो नगर पालिका परिषद दतिया वार्ड क्र.08 में स्थित है जो भूमि सर्वे क्र.356/1/4/2 ग्राम इंदरगढ़ का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 975 वर्गफुट है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है–पूर्व में भूखण्ड श्री कमलेश यादव, पश्चिम में रास्ता 13 फुट चौड़ा, उत्तर में भूखण्ड श्री नारायण कुशवाह एवं दक्षिण में भवन दानकर्ता है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री नारायण एवं श्री कमलेश कुशवाह पुत्रगण श्री भन्नी के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री कमलेश कुशवाह द्वारा उक्त सम्पत्ति के संबंध में श्रीमती विक्रम कुशवाह पुत्र श्री कमलेश कुशवाह के हित में ई-रजिस्टर्ड दानपत्र विलेख क्र.एमपी09602025ए1171737 दिनांक 12.03.2025 को सम्पादित किया गया। श्रीमती विक्रम कुशवाह द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान टायगर होम फायनेंस प्राइवेट लिमिटेड दतिया के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्वे क्रमांक के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. – मकान नं. 52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकारा श्रीमती सुहानी तोमर पत्नी श्री पदम सिंह तोमर ने उक्त अचल संपत्ति प्लॉट स्थित ग्राम वीरपुर जिला ग्वालियर में है। जिसका म्यु. भवन क्र. 477 वार्ड क्र 65 है। जो मेरी पक्षकारा ने विक्रय अनुबंध पत्र के तहत क्रय करना स्वीकार किया। मेरी पक्षकारा के विक्रेता श्रीमती नेहा गुप्ता पत्नी श्री नीरज गुप्ता की क्रयशुदा सम्पति है। मेरी पक्षकारा के पूर्व विक्रेता विनोद कुमार उर्फ के. के. राणा पुत्र श्री गर्न्धव सिंह की क्रयशुदा सम्पति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज क्र. 1492 ग्रन्थ नं. 13175 तारीखी 1/01/2002 में नत्थू हेतम, रामकिशन पुत्रगण स्व. श्री नारायण सिंह एंव रामबाई, गुड्डी पुत्रीगण स्व. श्री नारायण द्वारा मु. आम नत्थू पुत्र स्व. श्री नारायण सिंह से क्रय की। लेकिन मेरी पक्षकारा के पूर्व विक्रेता विनोद कुमार उर्फ के. के. राणा पुत्र श्री गर्न्धव सिंह की मृत्यु हो गई और मेरी पक्षकारा के पूर्व विक्रेता श्रीमती आशा पत्नी स्व. श्री विनोद वारिसान की हैसियत से उक्त अचल संपति प्लॉट के मालिक व काबिज है और उक्त अचल सम्पत्ति प्लॉट का विधिवत नामांकन मेरी पक्षकारा के पूर्व विक्रेता श्रीमती आशा पत्नी स्व. श्री विनोद के नाम किया जाकर स्वत्व स्वामित्व अधिपत्य में होकर चली आ रही। मेरी पक्षकारा के द्वारा किये विक्रय अनुबंध पत्र के तहत चतुरसीमा निम्नानुसार है :- पूर्व में- रास्ता पश्चिम में- भूमि दीगर, उत्तर में- शेष भाग विक्रेता दक्षिण में-रास्ता जिसका कुल क्षेत्रफल 1010.5 वर्गफुट है। मेरी पक्षकारा के विक्रेता श्रीमती नेहा गुप्ता पत्नी श्री नीरज गुप्ता ने अचल सम्पत्ति प्लॉट कुल क्षेत्रफल 1010.5 वर्गफुट को पूर्व विक्रेता श्रीमती आशा पत्नी स्व. श्री विनोद वारिसान की हैसियत से विक्रित किये जाने बावत अगर किसी व्यक्ति, बैंक, संस्था, निगम, शासकीय, अशासकीय विभागों या प्राईवेट फायनेंश को कोई या विक्रेता के परिवार के किसी भी सदस्य को कोई उज्र व आपति हो तो मय सबूत के नीचे पते पर 7 दिवस के अन्दर उपस्थित होकर आपत्ति पेश करे वरना म्याद गुजरने के बाद कोई उज्र व आपत्ति मान्य व स्वीकार नही होगी और मेरी पक्षकारा अचल सम्पत्ति प्लॉट कुल क्षेत्रफल 1010.5 वर्गफुट को क्रय करने बावत हाउसिंग लोन की सुविधा एल. आई. सी. एच. एफ. एल. सिटी सेन्टर ग्वालियर से आवंटित करा रही है। जो सुचित हो।

दिनांक -24.07.2025
स्थान-ग्वालियर

भवदीय
संजय बाकलीवाल एडवोकेट
चिक सतैर मुरार ग्वालियर
मो. 9300981954

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकारा श्रीमती सीमा यादव पत्नी श्री सीताराम यादव ने उक्त अचल भवन स्थित ग्राम गिरवाई जिला ग्वालियर मे है। जो कि सर्वे क. 1031/1/2/1 का भाग कुल क्षेत्रफल 600 वर्गफुट है जिसका म्यु. वार्ड क. 65 है, जो मेरी पक्षकारा ने विक्रय अनुबंध पत्र के तहत क्रय करना स्वीकार किया। मेरी पक्षकारा के विक्रेता की क्रयशुदा सम्पत्ति है। मेरी पक्षकारा के पूर्व विक्रेता भूपेन्द्र सिंह कुशवाह पुत्र श्री ठाकुर सिंह की क्रयशुदा सम्पत्ति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज क्र. ई रजिस्ट्रेशन नं. एम पी 142602023ए11605582 तारीखी 18.03.2023 में जयचन्द्र उर्फ जसनलाल पुत्र श्री किशनचन्द्र के द्वारा मु. आम विजय जसनलाल पुत्र श्री जयचन्द्र उर्फ जसनलाल के द्वारा सम्पादित किया गया। मेरी पक्षकारा के द्वारा किये गये विक्रय अनुबंध पत्र के तहत चतुरसीमा निम्नानुसार है। पूर्व में दीगर प्लॉट, पश्चिम में प्लॉट संजय सिंह, उत्तर में रोड, दक्षिण में सम्पत्ति विक्रेता जिसका कुल क्षेत्रुफल 600 वर्गफुट है। लेकिन मेरी पक्षकारा के पूर्व विक्रेता भूपेन्द्र सिंह कुशवाह पुत्र श्री ठाकुर सिंह क्रयशुदा सम्पत्ति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रेता जयचन्द्र उर्फ जसनलाल पुत्र श्री किशनचन्द्र के द्वारा मु. आम विजय जसनलाल पुत्र श्री जयचन्द्र उर्फ जसनलाल ने उक्त अचल भवन को विक्रित किये जाने बावत अगर किसी व्यक्ति, बैक, सस्था, निगम, शासकीय, अशासकीय विभागो या प्राईवेट फायनेंश को या पूर्व विक्रेता के परिवार सदस्य चतुभुर्ज, श्रीमती ज्योति, श्रीमती आशा, अशोक कुमार एंव श्रीमती करन को कोई उज्र व आपत्ति हो तो मय सबूत के नीचे पते पर 7 दिवस के अन्दर उपस्थित होकर आपत्ति पेश करे वरना म्याद गुजरने के बाद कोई उज्ज व आपत्ति मान्य व स्वीकार नही होगी और मेरी पक्षकारा उक्त अचल संपत्ति भवन का कुल क्षेत्रुफल 600 वर्गफुट को क्रय करने बावत हाउसिंग लोन की सुविधा जैना स्मॉल फायनेंस बैंक लिमिटेड ग्वालियर से आवंटित करा रही है। जो सुचित हो।

दिनांक 24.07.2025
स्थान ग्वालियर

भवदीय
संजय बाकलीवाल एडवाकेट चिक संतर मुरार ग्वालियर, मो. 9300981954

नाम परिवर्तन सूचना

मैं आर्मी नं. 15786681N हवलदार, **संजय शर्मा** 619 एडी ब्रिगेड, वर्तमान में ग्राम- करसड़ा, पोस्ट- करसड़ा, तहसील - पोरसा, जिला- मुरैना, पिन कोड 476115, में रहता हूं राज्य मध्यप्रदेश, मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं कि अभी लेख रिकॉर्ड शीट रोल में मेरे आश्रित नाम गलती से पिताजी का नाम **RAMJEE LAL SHARMA** दर्ज है। जबकि सही नाम **RAMJI LAL SHARMA** है।

नाम संशोधन सूचना

नाम -**इंद्र प्रताप सिंह तोमर** पिता/पति का नाम - श्री राजकुमार तोमर, आयु - 40 वर्ष, निवासी - बड़ा गांव मुरार ग्वालियर (म.प्र.)

मैं शपथपूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि :-

1. यहकि, मैं शपथकर्ता वर्तमान में उपरोक्त पता जिला ग्वालियर का/की मूल निवासी हूँ।
2. मैं **इन्द्र प्रताप सिंह तोमर** यह कथन करता हूं कि मेरे सर्विस डॉक्यूमेंट में मेरे पिता का नाम **राज कुमार सिंह तोमर** तथा जन्मतिथि **01 जुलाई 1956** दर्ज है परंतु पिताजी के आधार कार्ड में उनका नाम **राज कुमार तोमर** और जन्मतिथि **15 अक्टूबर 1955** है, जिसे मैं संशोधित कर सर्विस डॉक्यूमेंट में दर्ज कराना चाहता हूँ।
3. मैं **इन्द्र प्रताप सिंह तोमर** यह कथन करता हूं कि मेरे सर्विस डॉक्यूमेंट में मेरी माता का नाम **सुशीला तोमर** तथा जन्मतिथि **01 जुलाई 1966** दर्ज है परंतु माता जी के आधार कार्ड में उनका नाम **सुखलेश तोमर** और जन्मतिथि **09 मार्च 1970** है, जिसे मैं संशोधित कर सर्विस डॉक्यूमेंट में दर्ज कराना चाहता हूँ।
4. यहकि नाम सत्यापन की पुष्टि हेतु यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

दिनांक:-24.07.2025

द्वारा - महेश सिंह कुशवाह (एडवोकेट)

ईई के दफ्तर पर कर्मचारी संघों का धरना प्रदर्शन

ग्वालियर 24 जुलाई. एस.एल. सूर्यवंशी के विरूद्ध धरना प्रदर्शन का आयोजन कार्यालय कार्यपालन यंत्री पर किया गया जिसका नेतृत्व राजेन्द्र सिंह भदौरिया संरक्षक डिप्लोमा इन्जीनियर्स एसोसिएशन म.प्र. द्वारा किया गया। अधिकारी, कर्मचारी संयुक्त मोर्चा एवं अजाक्स द्वारा धरना प्रदर्शन को पूर्ण समर्थन दिया गया और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई। म.प्र. अधिकारी कर्मचारी पेंशनर संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष रणवीर सिंह सिकरवार, संयोजक रविन्द्र त्रिपाठी, पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहन सिंह कुशवाह, संभागीय अध्यक्ष भंवर सिंह जादौन, अजाक्स के प्रदेश अध्यक्ष चौ. मुकेश मौर्य, वाहन चालक कर्मचारी संघ के हरीशंकर शर्मा आदि कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियो ने धरना प्रदर्शन को सम्बोधित किया और सरकार से मांग की कि सूर्यवंशी को तत्काल ग्वालियर से हटाया जाय। इस अवसर पर रजनीश गुप्ता, आर.सी. चिराड़ एवं श्रीमती रश्मि शेंडगे एव अन्य सभी संघों के पदाधिकारियों द्वारा प्रशासनिक अधिकारी कटारे को धरना स्थल पर सूर्यवंशी के खिलाफ कार्यवाही हेतु ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर भारी तादाद में कर्मचारी, पेंशनर, अधिकारी उपस्थित हुए जिसमें राजकुमार वर्मा, बलवीर सिंह परमार, महादेव सिंह गोयल, महेन्द्र कुमार जैन, योगेन्द्र परमार शामिल थे।

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना
भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 03 वार्ड क्रमांक 08 भवन क्रमांक ... स्थान न्यू नरसिंह नगर, रानीपुरा में स्थित है जो गीता बाई/देवेन्द्र सिंह नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक... पर दर्ज है / नहीं है जिसका क्षेत्रफल 620 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक एमपी142602024ए1808537 दिनांक 27/6/2024 द्वारा क्रय/ उत्तराधिकार से प्राप्त/वसीयतनामा से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अन्तर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र लूटपुरा पर दिनांक 23/07/2025 को किया गया है. जिसका आवेदन कार्य क्रमांक 75/2011 /54251/54190 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 24-7-2025
भरत चन्देरिया/स्व.राजाराम
पता: न्यू नरसिंह नगर, रानीपुरा, ग्वालियर, म.प्र.

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना
भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 03 वार्ड क्रमांक 08 भवन क्रमांक ... स्थान गदाईपुरा में स्थित है जो रामबाबू राठौर/गंगाराम राठौर नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 9000030700 पर दर्ज है / नहीं है जिसका क्षेत्रफल 300 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक ... दिनांक ... द्वारा क्रय/ उत्तराधिकार से प्राप्त/वसीयतनामा से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्मत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अर्न्तगत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र लूटपुरा पर दिनांक 22/07/2025 को किया गया है. जिसका आवेदन कार्य क्रमांक 75/2011 /54243/54182 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 24-7-2025
श्रीमती सरिता/सुदामा
पता: गदाईपुरा, रानीपुरा, ग्वालियर, म.प्र.

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना
भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 03 वार्ड क्रमांक 07 भवन क्रमांक ... स्थान मानपुर में स्थित है जो अमर अग्रवाल/अनिल अग्रवाल नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक ... पर दर्ज है / नहीं है जिसका क्षेत्रफल 1142 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक एमपी142602022ए1975567 दिनांक 26/09/2022 द्वारा क्रय/ उत्तराधिकार से प्राप्त/वसीयतनामा से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अर्न्तगत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र लूटपुरा पर दिनांक 23/07/2025 को किया गया है. जिसका आवेदन कार्य क्रमांक 75/2011 /54256/54195 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 24-7-2025
गुंजन अग्रवाल/अभिषेक
पता: मानपुर, ग्वालियर, म.प्र.
मों नं: 9407244450

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्रं 10, वार्ड क्रं 23, स्थान नदीपार टाल ग्वा0 मे स्थित है जो कि परशादी जाटव/माघो के नाम से नगर निगम मे आई डी क्र 1000076242 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफ्ल 525 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं एमपी14259201 7ए1418905 दिनांक 22.07.2017 से प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र सैनिक पैट्रोल पंप, क्षे.क्र 10, पर दिनांक 24.07.2025 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्र 67/2010/64049/64091 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 24.07.2025
आवेदक-लीला देवी/मनमोहन हंसारिया, पता-नदीपार टाल ग्वा0 मो0-9713596986

संम्बध विच्छेद सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार रमेशचंद्र शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री प्रभु लाल शर्मा निवासी श्रीराम कॉलोनी वार्ड नंबर 12 बड़ोदा मार्ग जिला श्योपुर मध्य प्रदेश जिनका पुत्र हर्षित शर्मा निवासी 606–ई ब्लॉक ऑरेंज वुड अपार्टमेंट एमके सिटी के पास सिटी सेंटर ग्वालियर द्वारा बगैर मेरे पक्षकार व पारिवारिक सहमति के अपनी मर्जी से सुनीता मीणा पुत्री रमेशचंद मीणा निवासी 268 श्रीराम मंदिर के पास तहसील व जिला श्योपुर मध्य प्रदेश से प्रेम विवाह कर लिया है जिस कारण मेरा पक्षकार पुत्र हर्षित शर्मा से काफी दुखी है वह अब भविष्य में पुत्र हर्षित शर्मा व उसकी पत्नी श्रीमती सुनीता मीणा से किसी प्रकार के कोई पारिवारिक सामाजिक आर्थिक संबंध नहीं रखना चाहता है जिस कारण इस आम सूचना के माध्यम से अपने पुत्र हर्षित शर्मा एवं उसकी पत्नी सुनीता मीणा से अपने सभी संबंध समाप्त कर यह संबंध विच्छेद सूचना प्रकाशित करा रहा है कि भविष्य में उनके द्वारा किए गए किसी भी कृत्य के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे जिससे मेरे पक्षकार व उसके परिवार का कोई संबंध नहीं होगा तदनानुसार सूचित हो।

प्रेषक : रमेशचन्द्र शर्मा
द्वाराअभिभाषक :
विवेक सिंह तोमर, एडवोकेट
कार्यालय – ओ–9, सिटी सेंटर–1, ग्वालियर म.प्र.

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 17 वार्ड क्रं. 39, भवन क्रं. ..., स्थानः सात भाई की गोठ पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती श्याम प्रजापति / श्री मदनलाल प्रजापति के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 1000145107 का भाग पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 240 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्रं. A100602417 दिनांक 14.07.2025 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र ढोली बुआ का पुल क्षे.क्रं. 17 पर दिनांक 24.07.2025 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य क्रं. 71/2010/57899/ 58091/ प्र.क्रं.*3/11 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियम अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
प्रमोद जैन / श्री केशरीमल जैन
पताः सात भाई की गोठ, वार्ड -39
विज्ञप्ति जारी दिनांकः 24-07-2025

वन बंधु महिला समिति की बैठक आयोजित

ग्वालियर 24 जुलाई. वन बंधु महिला समिति ने आज जीवाजी क्लब में फन मीटिंग रखी. मीटिंग में सभी अलग अलग राज्यों की ड्रेस अप में आये थे. जज मेन्ट के लिए मिरेकल ब्यूटीपार्लर की ब्यूटीशियन श्रीमती गुलनाज जावेद और महिला सरकारी बैंक की फाउंडर मैनेजर श्रीमती अलका श्रीवास्तव थी. फन मीटिंग रखने का मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा बहनो को संस्था से जोड़ना था. कार्यक्रम में लगभग 48 सदस्यों की भागीदारी रही. जिन बहनो का जन्मदिन पिछले महीनो में रहा उन्हें गाँव की बहनो द्वारा बनाई गयी हल्दी देकर बधाइयाँ दी गयी. कार्यक्रम की अध्यक्षता वीणा राठी, नीलम सिंघल, गीता अग्रवाल ने किया. कार्यक्रम की संयोजिका डा. कला जाजू और पूनम लोईवाल थी. सचिव ऊषा सोमानी ने बताया की संस्था द्वारा ऐसे ही समय समय पर फन मीटिंग का आयोजन किया जायेगा जिस से ज्यादा से ज्यादा लोग इस संस्था से जुड़े और वनवासी बच्चों के सेवार्थ कार्य करें.